



2026:AHC-LKO:13696-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी संख्या - 1785 सन 2026

गायत्री डेवलपवेल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री
अंकित राज

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन
विभाग लखनऊ एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : स्निग्धा सिंह, हर्ष वर्धन केडिया

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, संजीव सिंह, शोभित मोहन शुक्ला

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार

अधिवक्ता श्री ज्ञानेश बाजपेयी और अधिवक्ता श्री अतुल दीक्षित ने प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से
वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख में ले लिया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया
जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, लखनऊ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शोभित मोहन शुक्ला ने बताया कि याचिकाकर्ता के आवेदन/प्रतिनिधित्व पर सचिव, उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण द्वारा 30.01.2026 को निर्णय लिया जा चुका है। इसकी प्रति याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को उपलब्ध करा दी गई है, जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया है।

रिट याचिका का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

[न्यायमूर्ति मनीष कुमार]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फ़रवरी 20, 2026

आशीष

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।